

eşy İ; & 11

I Hh ; ktukv h i r k f o r 0 ; k v i s f d , x , I f o r k k e i j
f j i v i d h f o f ' k ' v ; l a m i n f ' k ' d j r s g q s v i u s i e , s l v f H d j . k d l s v l o a / r c t v

eðqy I 11

**I Hh ;kt ukv h izrfor 0 ;levs fd, x, I þork Kaij
fji Wladh for 'k'V ; laminf 'E djrsqgs viusi R ; d vfhkj.k dksvloð/r ctV**

&%fo'k; I ph %

de	fooj.k	it uð
I 11;k		
11-1	I xBu ds iR; d vfhkj.k dksvloð/r ctV dh I þuk	66&90
11-2	iR; d vfhkj.k (Agency) dksvloð/r ctV eðqy I 11 dk ifj' B ctV I EcU'h 'kl uknsk	

11-1% IxBu dsir; d vfhjd.k dksvloR/ r ctV dh lpuh ft leafd lHh ; ktukv/0; ; izrioladh lpukgfufu ik i esna

d:	en	izrfor	Lohdr ctV	'kl u }kjk inr	dy 0; ;
l-		ctV		%d'rkaez	

foHkx dks ; ktuk en eactV vlcR/ r ughagrk gSA

11-2 ir; d vfhjd.k (Agency) dksvloR/ r ctV %Hh ifj; ktukv/0; ; izriolark /u forj.k dh lpukl fgr 1/2

foHkx }kjk dks Hh fodkl dk; Zo ifj; ktukv/0; dk fdz; k; u ugh fd; k tkrk gS rFk foHkx dks ; ktuk en-eactV Hh vlcR/ r ughagrk gA

foHkx dks dcy vk; ktubrj (NON PLAN) en ea vfkdkfj; k@ deplkj; k ds oru HRrs, oadk; ky; ds lpyu grqfufu enaeactV dk vlcR/ r ughagrk gS%

opuc) en-(NON PLAN)

- en ekud en
- dkM
- 01 oru
- 02 etnjh
- 03 egxkbZHRrk
- 04 ; k=k 0; ;
- 05 LFkukurj.k ; k=k 0; ;
- 06 vU; HRrs
- 08 dk; ky; 0; ;
- 09 fo | r ns
- 10 tyd@ tyihkj

vopuc) en-(NON PLAN)

- en ekud en
- dkM
- 07 Ekuns
- 11 yfku l kexh vS Qkeldh Nikbz
- 12 dk; ky; Qulpj , oamidj.k
- 26 e'kua vS ITtk@ midj.k vS laa
- 27 fpdfRI k 0; ; ifr ifrZ
- 42 vU; 0; ;
- 45 vodk'k ; k=k 0; ;
- 46 dEI; Wj gMbs j@ lKVos j dz
- 47 dEI; Wj vuj;k.k@ rr+adh LVskujh dz

- 13 VsyfQks 0; ;
- 14 dk; ky; iz lxx grqLVKQ dkjladk dz
- 15 xkM; k dk vuj;k.k , oa iVsy vkn dh [kjm
- 17 fdjk; k mi 'k'd vS dj Lokero
- 48 egxkbZHRrk

PkywfoRrh; o"z 2012&2013 grqmijRr enka ea uxj , oa xke fu; ktu foHkx ds vf/kBku ds fy; s vupku l f; k&13 yf'k 'krid 2217 ds vlxr' 'kl ulnsk l f; k&234@ v &2011&14%10%@2012 fnukd 02 ebZ 2012 , oa 'kl ulnsk l f; k&464@v&2011&14 %10%@2012 fnukd 16 tykbZ 2012 rFk 'kl ulnsk l f; k& 06@v&2012&14 %10%@2012 fnukd 11 tuoij 2013 }kjk opuc) , oavopuc) enaeactV vlcR/ r ughagrk gS ft l dh Qk'k ifr 103 u0% l yXu gA

foHkx dks mRrjk[k.M jkT; ds vlr xZ dk; }r foHku fofu;fer {s-la gsrq vuqku I ;k& 13] yfuk 'kkl& 2217] 'kgjh fodkl & 03&Nk's rFk e/;e Jsh ds uxjla dk I esdr fodkl & 001&funsku rFk izkl u&00&vk; kst uRj &07 &fofgr vf/kdkfj; la dk vf/k'Blu 1/4 uqku I ;k&06 IsLFkuUrj rj r' dsfy, vk; kst uRj (NON PLAN) en eavf/kdkfj; la de p'kij; la ds oru HRrs, oadk; ky; ds l pkyu gsrq fuu en laeactV dk vlu u ikr gsk gS%

opuc) en-(NON PLAN)

en	ekud en
dkM	
01	osu
03	egxkbZHRrk
04	; k=k 0; ;
05	LFkuUrj.k ; k=k 0; ;
06	vU; HRrs
08	dk; ky; 0; ;
48	egxkbZHRrk

vopuc) en-(NON PLAN)

en	ekud en
dkM	
11	yfuk I kexh v'Q Okel dh NikbZ
12	dk; ky; Out'pj ,oamidj.k
27	fpdr k 0; ; ifr ifrZ
45	vodk'k ; k=k 0; ;

PkywfoRrh; o"Z2012&2013 gsrq mijkr en laeamRrjk[k.M jkT; ds foHku fofu;fer {s-la ds dfeZla ds oru HRrs ,oa dk; ky; l pkyu gsrq 'kl ulnsk I ;k& 269@ v&2012&15 1/4 10/1@2012 fnukl 02 ebZ 2012] 'kl ulnsk I ;k& 364@ v&2012&15 1/4 10/1@2012 fnukl 18 ebZ 2012 ,oa 'kl ulnsk I ;k& 547@ v&2012&15 1/4 10/1@2012 fnukl 16 ty'kbZ 2012 rFk 'kl ulnsk I ;k& 07@ v&2012&15 1/4 10/1@2012 fnukl 11 tuojh 2013 }jk opuc) ,oa vopuc) en laeactV vlu u gw'k g' ft I dh Qk'ls ifr 104 u 1/2 l y'Xu gS

PkywfoRrh; o"Z2012&2013 gsrq mijkr en laeamRrjk[k.M jkT; ds foHku fofu;fer {s-la ds dfeZla ds oru HRrs v'kn dfri; en laeactV de iMus ds dkj.k 'kl ulnsk I ;k& 116@ 2013& v&15 1/4 10/1@2012 fnukl 14 ekpZ 2013 }jk dfri; en laeactV fofu;fer Lohdr ikr gbZ gS 10k'ls ifr l y'Xu 1/2

uxj ,oaxte fu;ktu foHk] nrjKkM dloRr; o'V2012&2013 dy vloB/r
/ujK'h ,oaml dsl kšk vlr 0; ; foj.k

vupku l ;k& 13& vk;ktuBj

yflk 'k'cl& 2217& 'lgjh fodkl

03& Nk/srFk e/;e Jslh dsuxjladk l efdrfodkl

001& funšku rFk izkl u

06& uxj ,oaxte fu;ktu vf/kBku&0000

/ujK'k : i ;s

gtlj ež

en dM	elud en	foRr; o'V 2012&2013 gsdv vloB/r /ujK'k	foRr; o'V 2012&2013 ea dy 0; ;	½ ½	cpr 0; ;k/d;
01	osu	17200	13779-04	½	3420-96
02	etmjh	15	14-40	½	0-60
03	egxlbZHRrk	12000	9388-47	½	2611-53
04	;k=k HRrk	220	202-68	½	17-32
05	LFkuurj.k ;k=k HRrk	70	39-92	½	30-08
06	vl; HRr	2400	2115-28	½	284-72
07	ekunš	50	36-15	½	13-85
08	dk; ky; 0; ;	110	109-97	½	0-03
09	fo q 0; ;	140	88-40	½	51-60
10	tydj@ tyiHkj	05	03-05	½	06-95
11	yflu l kexh ,oaOkeladh Nikb.	120	113-16	½	06-84
12	dk; ky; Qulbj ,oamidj.k	470	454-10	½	15-90
13	VyhOku 0; ;	80	78-53	½	01-47
14	dk; ky; iz; kx gsqLVlQ dkladk dz	&	&	&	&
15	xkM; kadk vuj{k.k ,oaiVky dz	510	507-40	½	02-60
16	0; ol k; d ,oafok'kk l okvladsfy, Hxrkku	400	332-71	½	67-29
17	fdjk; k mi 'k'd dj Lokfo	540	518-78	½	21-22
26	e'ku ITtk midj.k laæ	50	49-99	½	0-01
27	fpdRI k ifri rZ0; ;	400	309-64	½	90-36
42	vl; 0; ;	&	&	&	&
45	;k=k vodk'k 0; ;	90	&	½	90-00
46	dEl; Wj gMbs j@ l kVos j dz	170	169-84	½	0-16
47	dEl; Wj LVskujh dz	120	119-36	½	0-64
48	egxlbZosu 'Ml itD'	&	&	½	&
	;k %	35165	28430-88	½	6734-12
	dy : 0 6734120&00 ½ k;slM#B y{k plr l gtlj ,d l kch ek=½ l feir A				

**07& foigr vf/ldkj;lædsvf/KBku l s l ecfUkr ¼fofHku fofu;fer {k} mRrjk[kM ½
foRrh; o'iz2012&2013 dk vflre 0; ; foj.k**

vuoku l 5; k& 13 vk; kt uBrj

yfkk 'krl& 2217& 'kjh fodkl

03& NK/s rFk e/; e Jsh dsuxjkædk l eðdr fodkl

001& funsku rFk izkl u

07& foigr vf/ldkj;lædk vf/KBku ¼vuoku l 5; k& 06 l sLFkuUrfjr ½

¼kujk'k : i;sgtkj e½

d01 0	ekud en	foRrh; o'iz 2012&2013 gsgdy vloð/r /ujk'k	foRrh; o'iz2012&2013 eady 0; ;	½ ½	cpr 0; k/0;
01	orsu	8450	8099-23	½	350-77
03	egxkloZHRrk	5400	4753-17	½	646-83
04	;k=k HRrk	95	67-52	½	27-48
05	LFkuUrfj.k ;k=k HRrk	60	&	½	60-00
06	vU; HRr:	950	737-47	½	212-53
07	ekunş	01	&	½	1-00
08	dk; ky; 0; ;	140	122-50	½	17-50
11	yfku l kexh ,oa Qlekð dh Niloz	110	95-46	½	14-54
12	dk; ky; Qulþj ,oa midj.k	80	45-03	½	34-97
26	e'ku l kt l Ttk	80	38-08	½	41-92
27	fpdRI k ifrifrZO; ;	340	317-64	½	22-36
45	;k=k vodk'k 0; ;	&	&	½	&
46	dEi; Wj dz	100	81-19	½	18-81
47	dEi; Wj LVskujh dz	90	88-10	½	1-90
48	egxkloZorsu 'Ml0il0)	&	&	&	&
	;k %	158%	14445-38	½	1450-62

I Sch ek=1/2 feZrA

dy : 0 1450620&00 ek= 1/2 k; splig y[k ipkl gtij N%

1/2 9 1/2

प्रेषक,

एम0एच0खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून।

आवास अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 11 जनवरी, 2013.

विषय: वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिष्ठान के लिये अनुदान सं0 13 लेखाशीर्षक-2217 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में अतिरिक्त धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 234/V-2012- 14 (आ0)/2012. दिनांक 02 मई, 2012 द्वारा निर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 जुलाई तक के लिये 04 माह के लेखानुदान में आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 99,92,000 (रूपये निन्यानवे लाख बयानवे हजार मात्र) एवं पत्र संख्या 464/V-2011- 14 (आ0)/2012.दिनांक 16 जुलाई, 2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में आयोजनेत्तर पक्ष में वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में रू0 2,41,03000 (रू0 दो करोड़ इकतालीस लाख तीन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गयी थी।

उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में आयोजनेत्तर पक्ष में वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में रू0 10,70,000(दस लाख सत्तर हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि कम्प्यूटर आई0डी0 संख्या एस 1301130174 निम्नानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं।

1 स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा। मासिक व्यय तथा व्यय का व्यय विवरण बी0एम0-8 एव बी0एम0-13 पर हर माह की 05 तारीख तक आवास विभाग/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10/1
15/01/13
15/1/13

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14. व्यय करते समय वित्त हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित प्रचलित वित्तीय नियमों एवं मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

8. व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

9. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-13, लेखाशीर्षक-2217 -शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास- 001-निर्देशन तथा प्रशासन -06-नगर एवं ग्राम नियोजन अधिष्ठान के अन्तर्गत पृष्ठ-1 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या 607/XXVII(1)/2013, दिनांक 1 जनवरी, 2013 के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(एम0एच0खान)
सचिव।

संख्या (1)/V-2011- 12 (आ0)/2011.तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

18. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
19. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
20. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
21. वित्त अनुभाग-1/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
22. गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(गरिमा रौकली)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013
Secretary, Housing (8021)

आवंटन पत्र संख्या - 30/V-2013-14(AWAS)/2012
अनुदान संख्या - 013

अलोटमेंट आई डी - S1301130174
आवंटन पत्र दिनांक - 09-Jan-2013

HOD Name - Secretary Housing (2881)

1: लेखा शीर्षक - 2217 - शहरी विकास
001 - निवेशन तथा प्रशासन
00 - नगर एवं ग्राम्य निवोजन अधिभाग
03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समकित विकास
06 - नगर एवं ग्राम्य निवोजन अधिभाग

आवक श्रेणी का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Non Plan Voted
01 - वेतन	17200000	0	17200000
02 - यात्रा	15000	0	15000
03 - पत्रवाही भत्ता	12000000	0	12000000
04 - यात्रा व्यय	150000	70000	220000
05 - स्थानांतरण तथा भत्ता	70000	0	70000
06 - भत्ता भत्ता	1800000	600000	2400000
07 - सामग्री	50000	0	50000
08 - सामग्री व्यय	110000	0	110000
09 - निवेशन व्यय	140000	0	140000
10 - कर्मचारी / भत्ता भत्ता	10000	0	10000
11 - निवेशन सामग्री और भत्ता	120000	0	120000
12 - सामग्री, फर्निचर एवं उपकरण	70000	400000	470000
13 - इलेक्ट्रिकल एवं व्यय	80000	0	80000
14 - सामग्री या अनुदान और भत्ता	510000	0	510000
15 - सामग्री, उपकरण और भत्ता	400000	0	400000
16 - सामग्री, उपकरण और भत्ता	540000	0	540000
17 - सामग्री, उपकरण और भत्ता	50000	0	50000
20 - सामग्री और भत्ता / उपकरण और	400000	0	400000
27 - निवेशन व्यय भत्ता	90000	0	90000
25 - उपकरण तथा भत्ता	170000	0	170000
26 - सामग्री, उपकरण/भत्ता	120000	0	120000
27 - सामग्री, उपकरण/भत्ता	120000	0	120000
	34055000	1070000	35165000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1070000

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून।

आवास अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 02 अप्रैल, 2012.

विषय: वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिष्ठान के लिये अनुदान सं0 13 लेखाशीर्षक-2217 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30 मार्च, 2012 (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 जुलाई, 2012 तक के लिये 04 माह के लेखानुदान में आयोजनेत्तर पक्ष में वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में कम्प्यूटर आई.डी संख्या-S1204130500 द्वारा रू0 99,92,000-00(रूपये निम्नानवे लाख बयानवे हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा। मासिक व्यय तथा व्यय का व्यय विवरण बी0एम0-8 एव बी0एम0-13 पर हर माह की 05 तारीख तक आवास विभाग/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4. व्यय करते समय वित्त हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित प्रचलित वित्तीय नियमों एवं मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

6. व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

7. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-13, लेखाशीर्षक-2217 -शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास- 001-निदेशन तथा प्रशासन -06--नगर एवं ग्राम नियोजन अधिष्ठान के अन्तर्गत पृष्ठ-1 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे जाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या 193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30 मार्च, 2012 के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(एस0राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या 234 (1)/V-2011- 12 (आ0)/2011.तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. जिलाधिकारी, देहरादून।
10. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग-1/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।